

विचार बिन्दु

शिक्षा का महान उद्देश्य ज्ञान नहीं, कर्म है। —हर्बर्ट स्पेन्सर

जराजीर्णता प्रतिषेध एवं प्रबंध

कल्पना कीजिए एक 75 वर्षीय दादी, जो कुछ साल पहले तक सक्रिय थीं, अपने पोते-पोतियों के साथ खेलती थीं, और सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेती थीं, अब सीढ़ियाँ चढ़ने में कठिनाई महसूस कर रही हैं, अक्सर संतुलन खो देती हैं, और पहले से कहीं अधिक थकान महसूस करती हैं। यह कहानी अनेकों नहीं है। दुनिया भर में, जराजीर्णता-एक जटिल नैदानिक स्थिति, जिसमें शक्ति, सहनशक्ति और शारीरिक कार्यों में कमी होती है-वृद्धों की जनसंख्या के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करती है। 2०19 के एक वैश्विक विश्लेषण के अनुसार, जराजीर्णता का प्रभाव 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लगभग 1० प्रतिशत लोगों पर होता है, और उम्र के साथ इसकी व्यापकता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। तेजी से वृद्ध होती जनसंख्या के कारण भारत में जराजीर्णता और आयु से संबंधित स्वास्थ्य गिरावट सामान्य बात होती जा रही है। जहाँ 112 मिलियन से अधिक बुजुर्ग लोग शारीरिक, मानसिक,सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

बुढ़ापे में किसी की मदद के बिना चलने-फिरने, पहनने-ओढ़ने और मल त्याग में सक्षम रहना है तो यह आलेख आपके लिए है।

जराजीर्णता, या फ्रैलटीका आधुनिक विज्ञान और आयुर्वेद दोनों में व्यापक रूप से विमर्श किया गया है। समकालीन शोध ऑक्सोडेक्टिवट्रंस, इन्फ्लेमेशन, और प्रो इन्फेकल क्षति के कारण शारीरिक गिरावट पर केंद्रित है। इसके विपरीत आयुर्वेद उम्र बढ़ने के साथ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जराजीर्णता की एक समग्र दृष्टि प्रदान करता है। आयुर्वेद के अनुसार, जराजीर्णता तीन दोषों-वात, पित्त और कफ-के असंतुलन और शरीर के ऊतकों (धातु), पाचकानि और मल प्रबंधन प्रणालियों के क्षय के कारण उत्पन्न होती है। वस्तुतः समय के परिणाम से बुढ़ापा और मृत्यु हर व्यक्ति के जीवन में अंततः आते हैं, और बुढ़ापे में होने वाली समस्यायें स्वाभाविक हैं। इनकी चिकित्सा नहीं होती (कालस्य परिणामेन जरामृत्युनिमित्तजा:। रोगाः स्वाभाविका दृष्टाः स्वभावे निष्प्रतिक्रिया:॥ च.शा.1.115।) स्वाभाविक जरावस्था को नहीं टाला जा सकता, पर अकाल-जरा या असमय बुढ़ापे की समस्याओं से निपटने के लिये आयुर्वेद में पर्याप्त, प्रभावी और प्रमाण-आधारित उपाय हैं।

आयुर्वेद उम्र बढ़ने (जरावस्था) को एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में मान्यता देता है जो शरीर, इंद्रियों, मन और आत्मा को प्रभावित करती है। जीवन के विभिन्न चरणों में वात, पित्त, और कफ की परस्पर क्रियाशीलता के कारण विशिष्ट शारीरिक परिवर्तन होते हैं। बचपन संकफ दोष का प्रभुत्व होता है, जो वृद्धि और विकास (अनार्बालिज्म) को बढ़ावा देता है। वयस्कता में पित्त का प्रभुत्व होता है, जो चयापचय और शरीर की कार्यक्षमता को बनाए रखता है। यूद्धावस्था में वात का प्रभुत्व होता है, जो शरीर के गिरावट (केटाबॉलिज्म) की ओर ले जाता है। कफ के क्षय के कारण बल में कमी होना, वात की वृद्धि के कारण शरीर में दर्द और कॉमिगैटिव इम्पेयरमेंट और पित्त की विषमता से अग्नि-वैषम्य बुढ़ापे के मुख्य लक्षण हैं जो जराजीर्णता लाते हैं।

आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उनका आयुर्वेद से मेलअब बहुत स्पष्टता से देखा जा सकता है। वर्ष 2०19 के विश्लेषण में उद्धृत आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययन पुष्टि करते हैं कि जराजीर्णता कई कारकों, जैसे कि आनुवंशिक प्रवृत्ति, मौसमशैली विकल्प और पर्यावरणीय जोखिमों से प्रभावित होती है। जराजीर्णता के मुख्य कारणों में मांसपेशियों के द्रव्यमान और शक्ति का ह्रास (साकॉर्नपेनिया), संज्ञानात्मक गिरावट, कुपोषण और गतिशीलता में कमी शामिल हैं। ये स्थितियाँ ऑक्सोडेक्टिव तनाव और इन्फ्लेमेशन में वृद्धि से जुड़ी होती हैं, जो आगे कोशिका क्षति और उम्र बढ़ने को तेज करती हैं।

रोचक बात यह है कि जराजीर्णता के प्रबंधन के लिए आयुर्वेद की सलाह और आधुनिक वैज्ञानिक रणनीतियों के मध्य बड़ी निकटता है। उदाहरण के लिए, आयुर्वेद उम्र से संबंधित शारीरिक गिरावट को रोकने के लिए संतुलित अग्नि (पाचनशक्ति) और वात दोष के प्रबंधन पर जोर देता है। यह दृष्टिकोण ऑक्सोडेक्टिव तनाव और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए आधुनिक हस्तक्षेपों के साथ सुसंगत है ताकि उम्र-आधारित रोगजनन की गति को धीमा किया जा सके।

जराजीर्णता की रोकथाम की रणनीतियाँ: जराजीर्णता की रोकथाम और प्रबंधन के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण का आवश्यकता होती है जिसमें जीवनशैली में परिवर्तन, आहार संबंधी हस्तक्षेप और उपचारात्मक अध्येास शामिल होते हैं। यहाँ आठ आवश्यक अवधान, प्रमाण-आधारित और सर्वाधिक प्रभावी रणनीतियाँ दी गई हैं: बहुयुक्त व्यायाम वनानुभव समाजोन्मुखता विवाहकर्तव्यनिष्ठा सत्यनिष्ठा शुद्धान्तः करणोत्तम प्रज्ञाध्यात्म ज्ञानसमुदाय हितायु सहाग्निसामर्थ्य फलशका विविधाशनम धन्यागोदरस्थौल्य मुकुततासहितं नित्यसेवनीयै रामलक्ष्म्याः रसायनैश्च जरासर्वैश्चरोति, तत्रसर्वेषुव्यायाम सायनयोः सर्वसमाध्यात्मस्य च श्रेष्ठतमत्वम्। (यजुर्विदतन्त्रः)। इस सूत्र को विस्तार से समझने के पूर्व इसका अर्थ समझना आवश्यक है। विविध प्रकार के व्यायाम, वनानुभव, समाज से मेल-मिलाप, वैवाहिक और पारिवारिक स्थिति, कर्तव्यनिष्ठा,सत्यनिष्ठा, शुद्ध अंतःकरण, उत्तम प्रज्ञा, अध्यात्मज्ञान, सुखायु (सुखी जीवन) और हितायु (हितकारी जीवन) के साथ-साथ अग्नि का साम्य (पाचनानि का संतुलन), कफ और सन्धियों का विविध आहार, मद्य का त्याग, उदरस्थूलता (तोंद के रूप में पेट की चर्बी) का अभाव, आंवला, द्राक्षा, अनार आदि जैसे नित्य सेवन योग्य रसायन - ये सब मिलकर जराजीर्णता का प्रतिषेध (बचाव, प्रिवेंशन) करते हैं। इनमें से व्यायाम, रसायन सेवन, और सभी रसोंसे युक्त नियमित आहार की विविधता काचव के सर्वोत्तम कारक हैं।

ध्यान दीजिये, यजुर्विदतन्त्र कोई संकलन नहीं बल्कि आयुर्वेद की एक मौलिक संहिता है जो ज्ञान की त्रिवेणी-शास्त्र, साईस, अनुभव-पर आधारित है व युगानुरूप लिपिबद्ध की जा रही है। उपरोक्त सूत्र जराजीर्णता

प्रबंधन एवं प्रतिषेध पर उपलब्ध ज्ञान को

एकीकृत कर लिखा गया है। प्राचीन संहिताओं

और समकालीन वैज्ञानिक शोध पर प्रकाशित

सर्वश्रेष्ठ 422 मेटा-एनालिसिस, और

अनुभवजन्य ज्ञान समाहित हैं। इस सूत्र में प्रदत्त

उपयोग-योग्य जानकारी आगे प्रस्तुत है।

1. बहु-घटक व्यायाम: जराजीर्णता की

रोकथाम और प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण स्तंभ

है। आयुर्वेद के अनुसार,बल के आधे तक

नियमित व्यायाम दोषों को संतुलित करता है,

विशेष रूप से वात,जो गतिशीलता से जुड़ा

होता है। यह मांसपेशियों को मजबूत करता है,

सहनशक्ति को बढ़ाता है, और जोड़ों का

लचीलापन बनाए रखता है। वैज्ञानिक अनुसंधान

से पता चलता है कि बहु-घटक व्यायाम

प्रबंधन एवं प्रतिषेध के आधे तक

नियमित व्यायाम दोषों को संतुलित करने और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए

आयुर्वेद सभी छह रसों (षड रस) से समृद्ध आहार पर जोर देता है। आधुनिक पोषण विज्ञान भी इस सिद्धांत का समर्थन करता है, जो फलों, सब्जियों, साबुत अनाज, फलियाँ, मेवे और बीजों जैसे खाद्य पदार्थों से समृद्ध

विविध आहार का परामर्श देता है। ये खाद्य पदार्थ एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, और खनिजों से भरपूर होते हैं, जो

जराजीर्णता की रोकथाम, ऑक्सोडेटिव तनाव और दर्द व सूजन को कम करने में मदद करते हैं।

3. रसायन: आयुर्वेद के रसायन उम्र बढ़ने को रोकने और दीर्घायु को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित की

गई हैं। इसमें आंवला, द्राक्षा, अनार, अश्वगंधा, और ब्राह्मी जैसी जड़ी-बूटियों का उपयोग शामिल है,जो

एंटीऑक्सीडेंट गुणों और संज्ञानात्मक और शारीरिक कार्य को बढ़ाने की क्षमता के लिए जानी जाती हैं। आधुनिक

शोध इन लाभों की पुष्टि करता है, जिससे पता चलता है कि इस तरह की जड़ी-बूटियाँ ऑक्सोडेक्टिव क्षति को

कम करके और कोशिका कार्य में सुधार करके उम्र बढ़ने के प्रभावों में कमी ला सकती हैं।

4. सामाजिक सहभागिता और मानसिक कल्याण:जराजीर्णता केवल एक शारीरिक स्थिति नहीं है; इसका एक महत्वपूर्ण मानसिक घटक भी होता है। आयुर्वेद मानसिक स्वास्थ्य (सत्त्व) पर जोर देता है और ध्यान, आध्यात्मिक गतिविधियाँ (आध्यात्मिक आहार) और सामाजिक सहभागिता जैसी बातों पर

सुझाव देता है ताकि मन को संतुलित रखा जा सके। आधुनिक अध्ययन बताते हैं कि सामाजिक सहभागिता और संज्ञानात्मक गतिविधियाँ, संज्ञानात्मक गिरावट को रोकने और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने

में मदद कर सकती हैं, जिससे जराजीर्णता का जोखिम कम हो जाता है।

5. पाचनशक्ति का प्रबंधन और दोष संतुलन: आयुर्वेद के अनुसार, पोषक तत्वों के अवशोषण और

आम्लता को रोकने के लिए संतुलित पाचक अग्निआवश्यक है। वृद्धावस्था में, पाचन दक्षता अक्सर कम हो

जाती है, जिससे कुपोषण और जराजीर्णता होती है। इसका प्रबंधन करने के लिए, आयुर्वेद पाचक जड़ी-

बूटियों के उपयोग, सावधानीपूर्वक खाने के अध्यास और उचित पाचन और चयापचय कार्य सुनिश्चित

करने के लिए नियमित मलत्याग की सिफारिश करता है। वैज्ञानिक अध्ययन भी जराजीर्णता की रोकथाम के लिए अंत के स्वास्थ्य और पोषक तत्वों के अवशोषण को बनाए रखने पर जोर देते हैं।

6. शारीरिक-भार और उदर-स्वास्थ्य का रखरखाव: जराजीर्णता की रोकथाम में इष्टतम शरीर

भार बनाए रखना और उदर मोटापा (सेंट्रल ओबेसिटी) से बचना आवश्यक है। आयुर्वेद का सुझाव

है कि खाने की आदतों के प्रति सचेत रहना और भारी, तैलीय या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की अत्यधिक खपत से बचना

पेट के मोटापे और उससे जुड़े जोखिमों को रोक सकता है। आधुनिक शोध से पता

चलता है कि उदर-मोटापा कई क्लिनिकल समस्याओं, जैसे कि मेटाबोलिक सिंड्रोम, मधुमेह और

हृदय रोगों से जुड़ा हुआ है। ये सभी रोग जराजीर्णता में योगदान करते हैं।

7. अत्यधिक निष्क्रिय व्यवहार से बचना: आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों इस बात से सहमत हैं कि अत्यधिक निष्क्रिय व्यवहार (सदासन या सीटेंटेरीबैहिवियर) स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चेष्टाद्विषी व्यक्ति

बहुत जल्दी जराजीर्णता में फंस जाते हैं। स्वास्थ्य और जीवन-शक्ति को बनाए रखने के लिए आयुर्वेद वैज्ञानिक

निष्कर्षों से बचने और नियमित शारीरिक व्यायाम को दैनिक दिनचर्या में शामिल करने परामर्श देता है। वैज्ञानिक

अध्ययन भी पुष्टि करते हैं कि नियमित व्यायाम, यहां तक ​​कि छोटे अंतराल में भी, मांसपेशियों को शोष को रोक

सकता है, हृदय स्वास्थ्य को बनाए रख सकता है, और जराजीर्णता के जोखिम को कम कर सकता है।

8. नित्य-सेवनीय रसायनों का दैनिक उपयोग: आयुर्वेद आंवला (आमलकी), अनार (बाडिम) द्राक्षा

(मुनक्का), गाय का दूध और घी जैसे नित्य सेवनीय रसायनों के दैनिक उपयोग की सलाह देता है। इससे

स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है और उम्र-आधारित रोगजनन की गति बहुत कम हो जाती है। आधुनिक

पोषण विज्ञान यह मानता है कि ये पदार्थ, एंटीऑक्सीडेंट और स्वस्थ वसा से भरपूर होते हैं, जो ऑक्सीडेटिव

तनाव से लड़ सकते हैं, व्याधिधामत्व (प्रतिरक्षा) को बढ़ा सकते हैं, और रोगरहित दीर्घायु (हेल्थ-स्पान

दे सकते हैं, जिससे जराजीर्णता की रोकथाम हो सकती है। यदि स्वस्थ व्यक्ति के भोजन में प्रतिदिन अनार, आमलकी और द्राक्षा हो

तो उस व्यक्ति के स्वस्थ रहने की प्रबल संभावना है।

आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान मिलकर जराजीर्णता के प्रबंधन के लिए एक व्यापक रणनीति प्रदान करते

हैं। जीवनशैली में संशोधन,आहार हस्तक्षेप, व्यायाम, सामाजिक सहभागिता, और रसायन चिकित्सा को एकीकृत

करके, हम स्वस्थ उम्र बढ़ने को बढ़ावा दे सकते हैं और जराजीर्णता के जोखिम को कम कर सकते हैं, जिससे

ऊन्नत आयु में भी एक अधिक जीवंत, स्वतंत्र और संतोषजनक जीवन जीने में सक्षम हो सकते हैं।

—अतिथि सम्पादक,

डॉ. दीप नारायण पाण्डेय

(इंडियन फारेस्ट सर्विस से सेवानिवृत्त, वर्तमान में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर में बिजिटिंग प्रोफेसर)

(यह लेखक के निजी विचार हैं और 'सार्वभौमिक कल्याण के सिद्धांत' से प्रेरित हैं।)

संपादकीय

जब उच्चतम कोर्ट भी पेंशन दिलवाने में असफल रहे तो क्या पेंशनर इंटरनेशनल कोर्ट में फ़रियाद करे?



प्रो. वीर बहादुर सिंह

राजस्थान सरकार की हठधर्मिता

की पराकाष्ठा ही कहें कि विश्व

विद्यालयी पेंशनर अब आंदोलन करते

थक चुके हैं विडम्बना ये है कि लगभग

18 वर्षों से चली आ रही समस्या को

राज्यमुख्यमंत्री ने एक बार भी सदन में

राज्य से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से

चर्चा करना तो दूर सदन को कभी

समस्या से अवगत तक नहीं कराया। मैं

इतिहासकारों से यह अपील करता हूँ कि

इस मामले की विवेचना इतिहासलिखते

समय अवश्य कर दें ताकि भविष्य की

पीढ़ीओं को मार्गदर्शन मिल सके यह

जानने का कि पूर्व की प्रदेश सरकारों ने

क्यों और कैसे जनता के एक सबसे

शिक्षित वर्ग के अधिकारों को कैसे बिना

सदन में संवाद के नकार दिया।

प्रजातंत्र में एक बड़ी त्रासदी घटित

होती है उनके साथ जो पूरे जीवन

कार्यशील रहते अपनी सेवायें

निष्ठापूर्वक देते हैं और सेवानिवृत्त पश्चात

अपने ही वरिष्ठ और कनिष्ठ सरकारी

अधिकारियों के हाथों उपेक्षा के शिकार

बनते हैं। राजस्थान प्रदेश में ऐसा ही एक

वर्ग है सेवानिवृत्त कृषि विश्वविद्यालयों

के सेवानिवृत्त कृषि अध्यापकों, कृषि

वैज्ञानिकों व अनुसन्धान कर्त्ताओं और

कृषि तकनीकों कोप्रसार शिक्षा के

माध्यम से किसानों व उनके खेतों तक

ले जाने तथा लगभग समान संख्या में

सहायक और सहयोगी कर्मचारियों का

जनता की सूचना के लिए बता दें कि

राजस्थान सरकार ने बिना

कर्मचारियों की मांग के अपनी तरफ

और विवेक से वर्ष 1990 से

सेवानिवृत्ति पर पेंशन का प्रावधान किया

था यह प्रावधान प्रदेश के सभी अन्य

विश्वविद्यालयों में भी लागू किया गया।

पेंशन प्रावधान को लागू करने राजस्थान

तब कोई अकेला प्रदेश नहीं था वल्कि

उसी समय निकटवर्ती सभी प्रदेशों में

यह व्यवस्था उनकी सरकारों ने आगे

पीछे लागू कर दी थी।

उत्तरप्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ कतिपय राजकीय संस्थानों व कुछ इने गिने संस्थानों को छोड़कर अधिकाँश शिक्षा प्राइवेट सेक्टर में है। वहाँ प्राइमरी से लेकर सभी तरह की उच्च शिक्षा प्राइवेट रहते प्रदेश सरकार ने पहले तो सरकारी संस्थानों के समान वेतनमान लागू किये (यह काम श्री हेमवती नंदन बहुगुणा तब के मुख्यमंत्री ने किया था)

और बाद में सभी को पेंशन भी सरकारी मापदंडों के समान प्रदान कर दी। वर्तमान में वहाँ सभी प्राइवेट संस्थानों से रिटायर कर्मचारी पेंशन सीधे सरकार से प्राप्त कर रहे हैं। अभी तक वहाँ किसी भी वर्ग के सेवानिवृत्त पेंशनर की कोई शिकायत आजतक कभी सुनने को नहीं मिली। अन्य प्रदेशों में भी सभी को पेंशन बिना किसी कठिनाई वर्तमान में मिल रही है।

राजस्थान प्रदेश में जहाँ सेवानिवृत्त पेंशन पानेवालों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है वहीं कृषि विश्वविद्यालयों की तो अपेक्षाकृत बहुत ही कम है क्योंकि ये सब औरों से बहुत बाद में स्थापित किये गए। ऐसे में सरकार इन संस्थानों के रिटायर सेवानिवृत्त लोगों को पेंशन नहीं देना चाहती और निर्देश करती है कि पेंशन विश्व विद्यालय दे। जब सभी विश्वविद्यालय सरकार के हैं उनके सम्पूर्ण व्यय वेतन और लेवोअटरी लाइब्रेरी आदि के खर्चें सरकार ही देती है तो फिर पेंशन क्यों नहीं ?यह बात एकदम स्पष्ट है कि विश्वविद्यालयों की इतनी आय नहीं होती कि उससे पेंशन दी जा सके। विभिन्न विषयों में प्रवेश के लिए सीटों की संख्या और फीस निर्धारण सरकार करती है इसलिए रेवेन्यू नगण्य रहता है। इस सब के ऊपर सरकार विश्व विद्यालयों को काट-छाँट कर नए विश्वविद्यालय स्थापित कर देती है और उनके स्थाई संचालन के लिए उनका इस्टीम्लिशमेंट खर्च ही अनाप सनाप बढ़ा लेती है क्योंकि कुलपति, कुलसचिव, वित्तिनयन्त्रक, निदेशक प्लानिंग, निदेशक अनुसन्धान, निदेशक प्रसार शिक्षा, एस्टेट अफसर, अधिष्ठाता पोस्ट ग्रेजुएट व् परीक्षा नियंत्रक और इन सबके लिए एक एक उचित पर्सनल सहायक कर्मचारी लगभग 16 से 18 व्यक्तिओं के कार्यवाही में वृद्धि कर लेती है। और सरकार मानती है कि इन पर कोई खर्चा नहीं होता ?

और फिर रोती हैं कि सरकार के पास धन की कमी है। यह कैसा चरित्र है सरकार का सभी को भूख बनाने का ,क्या सरकार को फ़िजुलखर्ची को कोई से हटने के उपरान्त ही वर्ष 2006 - 2007 से पेंशन देने की समस्या खड़ी हो गई क्योंकि सरकार और उसके वित्त निंत्रक पेंशन पड़ने को पेंशन में कोई व्यवधान देने में असफल रहे और फण्ड कम पड़ने लगा। सरकार और उसके वित्त नियंत्रक ने फण्ड को सुदृण्न बनाये रखने के लिए कोई उपाय नहीं किया।फलस्वरूप पेंशन न मिलती देख पेंशनरों ने लिखित में प्रार्थनायें, स्मरणपत्रों आदि से हल न होते देख आंदोलन का रास्ता अपनाया। जिसकी खबर मीडिया में आने पर उच्च न्यायलय जयपुर ने स्वतः संज्ञान लेकर परिवाद रजिस्टर कर कार्यवाही शुरू कर दी और व्यवस्था दी कि सरकार तुरंत पेंशन पड़ने को पेंशन में किसी प्रकार का प्रबंध करने में असफल रहे और फण्ड कम पड़ने लगा। सरकार और उसके वित्त नियंत्रक ने फण्ड को सुदृण्न बनाये रखने के लिए कोई उपाय नहीं किया।फलस्वरूप पेंशन न मिलती देख पेंशनरों ने लिखित में प्रार्थनायें, स्मरणपत्रों आदि से हल न होते देख आंदोलन का रास्ता अपनाया। जिसकी खबर मीडिया में आने पर उच्च न्यायलय जयपुर ने स्वतः संज्ञान लेकर परिवाद रजिस्टर कर कार्यवाही शुरू कर दी और व्यवस्था दी कि सरकार तुरंत पेंशन पड़ने को पेंशन में किसी प्रकार का प्रबंध करने में असफल रहे और फण्ड कम पड़ने लगा। सरकार और उसके वित्त नियंत्रक ने फण्ड को सुदृण्न बनाये रखने के लिए कोई उपाय नहीं किया।फलस्वरूप पेंशन न मिलती देख पेंशनरों ने लिखित में प्रार्थनायें, स्मरणपत्रों आदि से हल न होते देख आंदोलन का रास्ता अपनाया। जिसकी खबर मीडिया में आने पर उच्च न्यायलय जयपुर ने स्वतः संज्ञान लेकर परिवाद रजिस्टर कर कार्यवाही शुरू कर दी और व्यवस्था दी कि सरकार तुरंत पेंशन पड़ने को पेंशन में किसी प्रकार का प्रबंध करने में असफल रहे और फण्ड कम पड़ने लगा। सरकार और उसके वित्त नियंत्रक ने फण्ड को सुदृण्न बनाये रखने के लिए कोई उपाय नहीं किया।फलस्वरूप पेंशन न मिलती देख पेंशनरों ने लिखित में प्रार्थनायें, स्मरणपत्रों आदि से हल न होते देख आंदोलन का रास्ता अपनाया। जिसकी खबर मीडिया में आने पर उच्च न्यायलय जयपुर ने स्वतः संज्ञान लेकर परिवाद रजिस्टर कर कार्यवाही शुरू कर दी और व्यवस्था दी कि सरकार तुरंत पेंशन पड़ने को पेंशन में किसी प्रकार का प्रबंध करने में असफल रहे और फण्ड कम पड़ने लगा। सरकार और उसके वित्त नियंत्रक ने फण्ड को सुदृण्न बनाये रखने के लिए कोई उपाय नहीं किया।फलस्वरूप पेंशन न मिलती देख पेंशनरों ने लिखित में प्रार्थनायें, स्मरणपत्रों आदि से हल न होते देख आंदोलन का रास्ता अपनाया। जिसकी खबर मीडिया में आने पर उच्च न्यायलय जयपुर ने स्वतः संज्ञान लेकर परिवाद रजिस्टर कर कार्यवाही शुरू कर दी और व्यवस्था दी कि सरकार तुरंत पेंशन पड़ने को पेंशन में किसी प्रकार का प्रबंध करने में असफल रहे और फण्ड कम पड़ने लगा। सरकार और उसके वित्त नियंत्रक ने फण्ड को सुदृण्न बनाये रखने के लिए कोई उपाय नहीं किया।फलस्वरूप पेंशन न मिलती देख पेंशनरों ने लिखित में प्रार्थनायें, स्मरणपत्रों आदि से हल न होते देख आंदोलन का रास्ता अपनाया। जिसकी खबर मीडिया में आने पर उच्च न्यायलय जयपुर ने स्वतः संज्ञान लेकर परिवाद रजिस्टर कर कार्यवाही शुरू कर दी और व्यवस्था दी कि सरकार तुरंत पेंशन पड़ने को पेंशन में किसी प्रकार का प्रबंध करने में असफल रहे और फण्ड कम पड़ने लगा। सरकार और उसके वित्त नियंत्रक ने फण्ड को सुदृण्न बनाये रखने के लिए कोई उपाय नहीं किया।फलस्वरूप पेंशन न मिलती देख पेंशनरों ने लिखित में प्रार्थनायें, स्मरणपत्रों आदि से हल न होते देख आंदोलन का रास्ता अपनाया। जिसकी खबर मीडिया में आने पर उच्च न्यायलय जयपुर ने स्वतः संज्ञान लेकर परिवाद रजिस्टर कर कार्यवाही शुरू कर दी और व्यवस्था दी कि सरकार तुरंत पेंशन पड़ने को पेंशन में किसी प्रकार का प्रबंध करने में असफल रहे और फण्ड कम पड़ने लगा। सरकार और उसके वित्त नियंत्रक ने फण्ड को सुदृण्न बनाये रखने के लिए कोई उपाय नहीं किया।फलस्वरूप पेंशन न मिलती देख पेंशनरों ने लिखित में प्रार्थनायें, स्मरणपत्रों आदि से हल न होते देख आंदोलन का रास्ता अपनाया। जिसकी खबर मीडिया में आने पर उच्च न्यायलय जयपुर ने स्वतः संज्ञान लेकर परिवाद रजिस्टर कर कार्यवाही शुरू कर दी और व्यवस्था दी कि सरकार तुरंत पेंशन पड़ने को पेंशन में किसी प्रकार का प्रबंध करने में असफल रहे और फण्ड कम पड़ने लगा। सरकार और उसके वित्त नियंत्रक ने फण्ड को सुदृण्न बनाये रखने के लिए कोई उपाय नहीं किया।फलस्वरूप पेंशन न मिलती देख पेंशनरों ने लिखित में प्रार्थनायें, स्मरणपत्रों आदि से हल न होते देख आंदोलन का रास्ता अपनाया। जिसकी खबर मीडिया में आने पर उच्च न्यायलय जयपुर ने स्वतः संज्ञान लेकर परिवाद रजिस्टर कर कार्यवाही शुरू कर दी और व्यवस्था दी कि सरकार तुरंत पेंशन पड़ने को पेंशन में किसी प्रकार का प्रबंध करने में असफल रहे और फण्ड कम पड़ने लगा। सरकार और उसके वित्त नियंत्रक ने फण्ड को सुदृण्न बनाये रखने के लिए कोई उपाय नहीं किया।फलस्वरूप पेंशन न मिलती देख पेंशनरों ने लिखित में प्रार्थनायें, स्मरणपत्रों आदि से हल न होते देख आंदोलन का रास्ता अपनाया। जिसकी खबर मीडिया में आने पर उच्च न्यायलय जयपुर ने स्वतः संज्ञान लेकर परिवाद रजिस्टर कर कार्यवाही शुरू कर दी और व्यवस्था दी कि सरकार तुरंत पेंशन पड़ने को पेंशन में किसी प्रकार का प्रबंध करने में असफल रहे और फण्ड कम पड़ने लगा। सरकार और उसके वित्त नियंत्रक ने फण्ड को सुदृण्न बनाये रखने के लिए कोई उपाय नहीं किया।फलस्वरूप पेंशन न मिलती देख पेंशनरों ने लिखित में प्रार्थनायें, स्मरणपत्रों आदि से हल न होते देख आंदोलन का रास्ता अपनाया। जिसकी खबर मीडिया में आने पर उच्च न्यायलय जयपुर ने स्वतः संज्ञान लेकर परिवाद रजिस्टर कर कार्यवाही शुरू कर दी और व्यवस्था दी कि सरकार तुरंत पेंशन पड़ने को पेंशन में किसी प्रकार का प्रबंध करने में असफल रहे और फण्ड कम पड़ने लगा। सरकार और उसके वित्त नियंत्रक ने फण्ड को सुदृण्न बनाये रखने के लिए कोई उपाय नहीं किया।फलस्वरूप पेंशन न मिलती देख पेंशनरों ने लिखित में प्रार्थनायें, स्मरणपत्रों आदि से हल न होते देख आंदोलन का रास्ता अपनाया। जिसकी खबर मीडिया में आने पर उच्च न्यायलय जयपुर ने स्वतः संज्ञान लेकर परिवाद रजिस्टर कर कार्यवाही शुरू कर दी और व्यवस्था दी कि सरकार तुरंत पेंशन पड़ने को पेंशन में किसी प्रकार का प्रबंध करने में असफल रहे और फण्ड कम पड़ने लगा। सरकार और उसके वित्त नियंत्रक ने फण्ड को सुदृण्न बनाये रखने के लिए कोई उपाय नहीं किया।फलस्वरूप पेंशन न मिलती देख पेंशनरों ने लिखित में प्रार्थनायें, स्मरणपत्रों आदि से हल न होते देख आंदोलन का रास्ता अपनाया। जिसकी खबर मीडिया में आने पर उच्च न्यायलय जयपुर ने स्वतः संज्ञान लेकर परिवाद रजिस्टर कर कार्यवाही शुरू कर दी और व्यवस्था दी कि सरकार तुरंत पेंशन पड़ने को